दिनांक 09.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 18/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस के तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा CISCO के सहयोग से 'Strategic Collaboration between Uttar Pradesh Police and Cisco for Digital Skills' विषय के अन्तर्गत आयोजित दिवसीय 05Cyber Security, Computer Networking एवं Introduction to Modern AI प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण** की प्राथमिकताओं के अनुरूप, साइबर अपराध नियंत्रण एवं पुलिस बल की तकनीकी दक्षता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस के तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा CISCO के सहयोग से '**Strategic Collaboration between Uttar Pradesh Police and Cisco for Digital Skills**' विषय के अन्तर्गत आयोजित 05 दिवसीय**Cyber Security, Computer Networking** एवं **Introduction to Modern AI** प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज दिनांक को सफलतापूर्वक समापन किया गया। 2026 जनवरी 09

उक्त प्रशिक्षण का समापन श्री शुभम पटेल, पुलिस अधीक्षक सहायक निदेशक /, उ 0प्र0 पुलिसकम्प्यूटर केन्द्र, द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि "साइबर एवं डिजिटल अपराधों की बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत पुलिस बल का तकनीकी रूप से दक्ष होना समय की आवश्यकता है, और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस की कार्यक्षमता को नई दिशा प्रदान करते हैं।"

यह प्रशिक्षण मुख्यतः Cyber Security एवं Computer Networking पर केन्द्रित रहा, जिसमें CISCO से श्री इशविन्दर सिंह सहित कुल अतिथि व्याख्याताओं द्वारा विभिन्न 04 तकनीकी सत्रों का संचालन किया गया। प्रशिक्षण में प्रदेश के समस्त समस्त जोन के Zonal Coordinator (ZC), समस्त परिक्षेत्र के Range Coordinator (RC), तथा समस्त जनपद कमिश्नरेट्स के/District Coordinator (DC) सहित लगभग से अधिक प्रतिभागियों 120 पुलिस कार्मिको द्वारा सक्रिय सहभागिता की गयी। 14 एवं मुख्यालय स्तर से लगभग

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर साइबर एवं डिजिटल अपराधों के प्रभावी नियंत्रण को सुनिश्चित करना रहा।

Vectra

दिनांक 09.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 19/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना पटवाई

- **25–25 हजार रूपये के 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **18 पेटी अवैध शराब**
- **950 ग्राम कापर का तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 टाटा ऐस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09.01.2026 को थाना पटवाई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कमालपुर के जंगल से 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–सोमपाल 2–अहसान 3–राजा 4–नरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 18 पेटी अवैध शराब, 950 ग्राम कापर का तार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 टाटा ऐस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना पटवाई पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे। जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पटवाई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोमपाल निवासी ग्राम लोहापटटी भागीरथ थाना मिलक जनपद रामपुर।

2–अहसान निवासी ग्राम बडाखास थाना शहजादनगर जनपद रामपुर।

3–राजा पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम मानपुर पट्टी थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

4–नरेश पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम मढौली का मझरा थाना पटवाई जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–18 पेटी अवैध शराब।

2–950 ग्राम कापर का तार।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–01 टाटा ऐस, 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना जनकपुरी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 42 हजार 100 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 08.01.2026 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छज्जपुरा तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राहुल उर्फ अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 42 हजार 100 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना जनकपुरी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल उर्फ अजय निवासी यारपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी

1–लूट के 42 हजार 100 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना चौक

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 करोड़ रूपये कीमत की चोरी की 2122 ग्राम पीली धातु के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 09.01.2026 को थाना चौक व एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिन्न–भिन्न स्थानों से 05 अभियुक्तों 1–दीपेश 2–विकास 3–शुभम 4–सैनुद्दीन 5–तारक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 करोड़ रूपये कीमत की चोरी की 2122 ग्राम पीली धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना चौक क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चौक पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चौक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपेश निवासी ग्राम बारी गांव थाना मडियाहू जनपद जौनपुर।

2–विकास निवासी ग्राम मौधा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

3–शुभम निवासी ग्राम मौधा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

4–सैनुद्दीन निवासी ग्राम मौधा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

5–तारक निवासी ग्राम गोपालपुर थाना दासपुर जनपद पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल।

बरामदगी

1–लगभग 03 करोड़ रूपये कीमत की चोरी की 2122 ग्राम पीली धातु के आभूषण।

जनपद सीतापुर/थाना खैराबाद

- **कई सौ जीएसटी चोरी गैंग के 07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 लाख रुपये नगद**
- **05 लैपटॉप, 37 मोबाइल फोन, 80 सिमकार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 39 स्टैम्प, 18 बिल बुक, 10 पैनकार्ड, 57 चेकबुक, 10 बैंक पासबुक, 135 चेकबुक (विभिन्न बैंक), 09 डिजिटल सिग्नेचर यूएसबी डिवाइस, 02 हार्ड डिस्क, भिन्न–भिन्न फर्मो के 651 बिल एवं अन्य सामग्री**
- **02 चार पाहिया वाहन बरामद**

दिनांक 08.01.2026 को थाना खैराबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम असोथर के पास से कई सौ जीएसटी चोरी गैंग के 07 शातिर अभियुक्तों 1–मो0 आसिफ 2–अनवारुल हक 3–मो0 अम्मार 4–उजैर 5–अब्दुल नासिर 6–जीशान 7–मो0 आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 08 लाख रुपये नगद, 05 लैपटॉप, 37 मोबाइल फोन, 80 सिमकार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 39 स्टैम्प, 18 बिल बुक, 10 पैनकार्ड, 57 चेकबुक, 10 बैंक पासबुक, 135 चेकबुक (विभिन्न बैंक), 09 डिजिटल सिग्नेचर यूएसबी डिवाइस, 02 हार्ड डिस्क, भिन्न–भिन्न फर्मो के 651 बिल एवं अन्य सामग्री, 02 चार पाहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो एक संगठित गिरोह बनाकर भोले–भाले लोगो को सरकारी योजनाओं से मुनाफे का लालच देकर उनके नाम पर कूट रचित फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी की घटना कारित की जाती है

इस सम्बन्ध में थाना खैराबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मो0 आसिफ निवासी ग्राम जहांगीराबाद थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

2–अनवारुल हक निवासी मोहल्ला शाहकुलीपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

3–मो0 अम्मार निवासी ग्राम जहाँगीराबाद थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

4–उजैर निवासी बाकर गंज थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर।

5–अब्दुल नासिर निवासी मोहल्ला महाराजागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

6–जीशान निवासी मोहल्ला मजाशाह थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

7–मो0 आरिफ निवासी मोहल्ला थवई टोला थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–08 लाख रुपये नगद।

2–05 लैपटॉप, 37 मोबाइल फोन, 80 सिमकार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 39 स्टैम्प, 18 बिल बुक, 10 पैनकार्ड, 57 चेकबुक, 10 बैंक पासबुक, 135 चेकबुक (विभिन्न बैंक), 09 डिजिटल सिग्नेचर यूएसबी डिवाइस, 02 हार्ड डिस्क, भिन्न–भिन्न फर्मो के 651 बिल एवं अन्य सामग्री।

3–02 चार पाहिया वाहन।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना नानपारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना नानपारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनूप को मृत्युदण्ड व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद झाँसी/थाना समथर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद झाँसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद झाँसी द्वारा थाना समथर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/363 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुमित को आजीवन कारावास व 02 लाख 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/342 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना डिडौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना डिडौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सलेमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सलेमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कैलाश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 09.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 20/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 09.01.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रयागराज इकाई** द्वारा प्रवीण रामपाल सिंह निवासी ग्राम रोही थाना ऊँच जनपद भदोही, हालपता उस्तापुर थाना झूँसी जनपद प्रयागराज से आवंटित कार्यो का प्रारम्भ कराने की जगह दिखाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्रीमती अंजली यादव के नेतृत्व में **लिपिक प्रशान्त सिंह (नगर पालिका परिषद वेल्हा प्रतापगढ़)** पुत्र स्व0 जंग बहादुर निवासी 81 अजीतनगर पडाव वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को **87 हजार 500 रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 09.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 21/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

- **<u>कई सौ जीएसटी चोरी गैंग के 07 शातिर अंतर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार,</u>**
- **<u>कुल 08 लाख रुपये नकदी, 37 मोबाइल, 80 सिम,37 एटीएम, 39 स्टैम्प,</u>**
- **<u>18 बिल बुक, 10 पैन कार्ड, 57 चेक बुक, 10 बैंक पासबुक, 135 चेक (विभिन्न बैंक), 09 डिजिटल सिग्नेचर यू0एस0बी0 डिवाइस, 2 हार्ड डिस्क , भिन्न भिन्न फर्मो के 651 बिल एवम् अन्य सामग्री बरामद</u>**

श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में लूट, चोरी, नकबजनी, धोखाधड़ी, ठगी सहित अन्य संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के मार्गदर्शन में थाना खैराबाद व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कई सौ जीएसटी चोरी का सफल अनावरण करते हुए कुल 07 शातिर अभियुक्तों 1. मो0 आसिफ पुत्र मो0 यामीन नि0 ग्राम जहांगीराबाद थाना सदरपुर जनपद सीतापुर 2. अनवारुल हक पुत्र जलीश अहमद नि0 मोहल्ला शाहकुलीपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर 3. मो0 अम्मार पुत्र मो0 अकरम नि0 ग्राम जहाँगीराबाद थाना सदरपुर जनपद सीतापुर 4. उजैर पुत्र मोईनुद्दीन निवासी 130/507 बाकर गंज थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर 5. अब्दुल नासिर पुत्र अब्दुल रऊफ नि0 मोहल्ला महाराजागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर 6. जीशान पुत्र आलम नि0 मोहल्ला मजाशाह थाना लहरपुर जनपद सीतापुर 7. नाम मो0 आरिफ पुत्र मो0 इदरीश नि0 मोहल्ला थवई टोला थाना बिसवां जनपद सीतापुर को ग्राम असोथर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 08 लाख रुपये नगद, 05 अदद लैपटॉप, 37 अदद मोबाइल फोन, 80 अदद सिम कार्ड, 37 अदद ए0टी0एम0 कार्ड, 39 अदद स्टैम्प, 18 अदद बिल बुक, 10 अदद पैन कार्ड, 57अदद चेक बुक, 10 अदद बैंक पासबुक, 135 अदद चेक (विभिन्न बैंक), 09 अदद डिजिटल सिग्नेचर यू0एस0बी0 डिवाइस, 2 अदद हार्ड डिस्क , भिन्न भिन्न फर्मो के 651 अदद बिल मय टैक्स इनवाइस ई वे विल तथा एक फाइल में किराया नामा नोटरी मय एक चैक आधार कार्ड, पैन कार्ड छाया प्रति (वादी मुकदमा), 02 अदद चार पहिया वाहन वरना कार वाहन संख्या क्रमशः UP14DU6823, UP32LK7511 बरामद हुआ है।

अपराध करने का तरीका- गिरफ्तार अभियुक्तगण लकड़ी व्यापार के माफिया भी हैं जो अपना एक संगठित गिरोह बनाकर भोले भाले लोगो को सरकारी योजनाओं से मुनाफे का लालच देकर उनके कागज/नकदी लेते थे तथा उन्हीं के नाम की कई फर्जी/बोगस फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करते हुए सरकार को लाखों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचा रहे थे। अभियुक्तों से पूछताछ में लगभग 60-70 फर्जी/बोगस फर्म की जानकारी हुई है जिनके माध्यम से इनके द्वारा लगातार जीएसटी चोरी की जा रही थी।

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कम पढ़े लिखे लोगो को पैसे का लाचल देकर व सरकारी योजनाओं का लाभ बताकर झांसे में लेकर उनके कागज, आधार कार्ड के माध्यम से आवश्यक पैन कार्ड व जरुरत के प्रपत्र बनवाते हैं तथा उनके नाम पर बैंको में खाता खुलवाकर उन्ही के कागजातों के सहारे कूट रचित फर्म बनाकर उसमे उनके और भी कूट रचित अभिलेख लगाकर फर्जी लकड़ी के व्यापार को दिखाकर फर्मो के नाम से जी एस टी तथा फर्जी बिल बनाकर बैंक में उनके खाते में फर्म के नाम रुपये डलवाकर हम सभी आर्थिक लाभ अर्जित करते है। इस क्रम में जनपद सीतापुर अंतर्गत एक खाता धारक द्वारा दिनांक 08-01-2026 को थाना खैराबाद में मुकदमा लिखा दिया जिसके डर से इस काम के लिये प्रयुक्त सामग्री लैपटॉप मोबाइल फोन पासबुक चैक बुक, स्टाम्प मोहर , इनवाइस हार्ड डिस्क आदि तथा अर्जित किये गये धनराशी के ही आठ लाख रूपये सहित भागने के फिराक में थे।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार की घटनायें अन्य जनपदों में की गयी है, जिनकी जांच की जा रही है। पंजीकृत अपराध सं 15/26 में धारा 340(2), 111 BNS की बढ़ोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों चालान मा.न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध निरन्तर प्रभावी कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

पंजीकृत अभियोग – मु.अ.सं.15/26 धारा 336(3), 338, 318(4), 319(2), 340(2), 111 BNS थाना खैराबाद सीतापुर

<u>अभियुक्तों का नाम/पता-</u>

1. मो0 आसिफ पुत्र मो0 यामीन नि0 ग्राम जहांगीराबाद थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
2. अनवारुल हक पुत्र जलीश अहमद नि0 मोहल्ला शाहकुलीपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर
3. मो0 अम्मार पुत्र मो0 अकरम नि0 ग्राम जहाँगीराबाद थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
4. उजैर पुत्र मोईनुद्दीन निवासी 130/507 बाकर गंज थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर
5. अब्दुल नासिर पुत्र अब्दुल रऊफ नि0 मोहल्ला महाराजागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर
6. जीशान पुत्र आलम नि0 मोहल्ला मजाशाह थाना लहरपुर जनपद सीतापुर
7. नाम मो0 आरिफ पुत्र मो0 इदरीश नि0 मोहल्ला थवई टोला थाना बिसवां जनपद सीतापुर

<u>बरामदगी-</u>

- 08 लाख रुपये नगद,
- 05 अदद लैपटॉप,
- 37 अदद मोबाइल फोन, 80 अदद सिम कार्ड
- 37 अदद ए0टी0एम0 कार्ड,
- 39 अदद स्टैम्प,
- 18 अदद बिल बुक,
- 10 अदद पैन कार्ड,
- 57 अदद चेक बुक,
- 10 अदद बैंक पासबुक,
- 135 अदद चेक (विभिन्न बैंक),
- 09 अदद डिजिटल सिग्नेचर यू0एस0बी0 डिवाइस,
- 2 अदद हार्ड डिस्क ,
- भिन्न भिन्न फर्मो के 651 अदद बिल मय टैक्स इनवाइस ई वे विल तथा एक फाइल में किराया नामा नोटरी मय एक चैक आधार कार्ड, पैन कार्ड छाया प्रति (वादी मुकदमा),
- 02 अदद चार पहिया वाहन वरना कार वाहन संख्या क्रमश: UP14DU6823, UP32LK7511